"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 184] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 31 मार्च 2020 — चैत्र 11, शक 1942

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, गुरूवार, दिनाक 26 मार्च, 2020 (चैत्र 6, 1942)

क्रमाक–5043/वि.स./विधान/2019. — छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य सचालन सबधी नियमावली के नियम 64 के उपबधो के पालन मे छत्तीसगढ़ कृषि उपज मडी (सशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमाक 7 सन् 2020) जो गुरूवार, दिनाक 26 मार्च, 2020 को पुरःस्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

हस्ता./–

(चन्द्र शेखर गंगराड़े)
प्रमुख सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्र. 7 सन् 2020)

छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2020

छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) को और सशोधित करने हेतु विधेयक।

भारत गणराज्य के इकहत्तरवे वर्ष मे छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप मे यह अधिनियमित हो –

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम कृषि उपज मण्डी (सशोधन) अधिनियम, 2020 कहलायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य मे होगा ।

(3) यह दिनाक 1 दिसम्बर, 2019 से भूतलक्षी प्रभाव से प्रवृत्त होगा।

धारा 2 का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973), (जो इसमे इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप मे निर्दिष्ट है), धारा 2 मे, उप–धारा (1) मे, खण्ड (डड) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् –

"(डड) "छोटा व्यापारी" से अभिप्रेत है कोई ऐसा व्यक्ति, जो किसी एक समय पर स्टाक मे विभिन्न प्रकार की अधिसूचित कृषि उपज बीस क्विटल से या कोई एक अधिसूचित कृषि उपज दस क्विटल से अधिक न रखता हो

परन्तु वह किसी भी एक दिन मे दस क्विटल धान्य से या तिलहन, दाल तथा तन्तु फसलो को मिलाकर पॉच क्विटल से अधिक का क्रय नही करेगा।"

धारा 10 का संशोधन.

3. मूल अधिनियम मे, धारा 10 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् –

"10. प्रथम मण्डी समिति का गठन होने तक के लिए भारसाधक अधिकारी या भारसाधक समिति की नियुक्ति–

(1) जब इस अधिनियम के अधीन कोई मण्डी प्रथम बार स्थापित की जाती है तो सचालक, आदेश द्वारा,–

(क) किसी व्यक्ति को भारसाधक अधिकारी के रूप मे नियुक्त करेगा,

या

(ख) सात से अनधिक व्यक्तियो से मिलकर बनने वाली भारसाधक समिति को, पाच वर्ष से अनधिक कालावधि के लिये नियुक्त करेगा। भारसाधक अधिकारी या भारसाधक समिति सचालक के नियत्रण के अध्यधीन रहते हुए, इस अधिनियम के अधीन मण्डी समिति की समस्त शक्तियो का प्रयोग करेगा/करेगी तथा समस्त कर्तव्यो का निर्वहन करेगा/करेगी

परन्तु यह कि सचालक, किसी भी समय भारसाधक समिति के स्थान पर भारसाधक अधिकारी तथा भारसाधक अधिकारी के स्थान पर भारसाधक समिति नियुक्त कर सकेगा और इस प्रकार नियुक्त भारसाधक अधिकारी या भारसाधक समिति, जैसी भी स्थिति हो, अपने पूर्वाधिकारी को उपलब्ध शेष कालावधि तक पद धारण करेगा/करेगी

परन्तु यह और कि भारसाधक अधिकारी की मृत्यु हो जाने, उसके पद त्याग कर देने, छुट्टी पर होने या उसके निलबित होने की दशा मे यह समझा जायेगा कि ऐसे पद की आकस्मिक रिक्ति हुई है और ऐसी रिक्ति सचालक द्वारा, यथाशक्य शीघ्र, उस पद को किसी व्यक्ति की नियुक्ति करके भरी जाएगी और जब तक

ऐसी नियुक्ति नही कर दी जाती है तब तक, कलेक्टर द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्ति, भारसाधक अधिकारी के रूप मे कार्य करेगा

परन्तु यह और भी कि यदि मण्डी समिति का गठन पूर्वोक्त कालावधि के अवसान होने के पूर्व हो जाता है तो ऐसा भारसाधक अधिकारी या भारसाधक समिति, नवीन रूप से गठित मण्डी समिति के प्रथम साधारण सम्मिलन के लिए नियत की गई तारीख से अपने पद पर नही रहेगा/रहेगी।

(2) उप–धारा (1) के अधीन नियुक्त किसी भी भारसाधक अधिकारी को या उप–धारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन भारसाधक समिति मे नियुक्त किए गए किसी भी व्यक्ति या समस्त व्यक्ति को, किसी भी समय, सचालक द्वारा हटाया जा सकेगा, जिसे उसके स्थान पर, यथास्थिति, किसी अन्य व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्तियो को नियुक्त करने की शक्ति होगी।

(3) उप–धारा (1) के अधीन भारसाधक अधिकारी के रूप मे नियुक्त किया गया कोई भी व्यक्ति, अपनी सेवाओ के लिए ऐसा मानदेय, जो कि शासन द्वारा नियत किया जाये, मण्डी समिति निधि से प्राप्त करेगा तथा भारसाधक समिति का प्रत्येक सदस्य मण्डी समिति निधि से ऐसी दर से भत्ते प्राप्त करने का हकदार होगा, जिस दर से मण्डी समिति के सदस्यो को भत्ते देय हो।

(4) उप–धारा (1) के अधीन नियुक्त भारसाधक अधिकारी या भारसाधक समिति, उस उप–धारा के अधीन अपनी अवधि का अवसान हो जाने पर भी, उस तारीख तक पदधारण किए रहेगा, जिस पर नवीन रूप से गठित मण्डी समिति के प्रथम साधारण सम्मिलन के लिए धारा 13 की उप–धारा (1) के अधीन नियत की गई है।"

धारा 17 का संशोधन.

4. मूल अधिनियम मे, धारा 17 मे, उप–धारा (2) मे, खण्ड (उन्नीस) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्–

"(उन्नीस) मण्डी–प्रागण मे किय गये सव्यवहारो के सबध मे माल के तौलने तथा उसके परिवहन के लिए तुलैयो तथा हम्मालो का बारी–बारी से नियोजन करने की व्यवस्था तथा उनके पारिश्रमिक के निर्धारण की व्यवस्था करेगी

परन्तु यह कि राज्य सरकार, इस उप–धारा के अतर्गत तौल तथा अन्य कार्य हेतु न्यूनतम पारिश्रमिक दर अधिसूचित कर सकेगी, जिसका अनुपालन करने हेतु मण्डी समितियॉ आबद्ध होगी

परन्तु यह और कि इस खण्ड की कोई भी बात उन हम्मालो के नियोजित किये जाने के लिए लागू नही होगी, जो कि व्यापारियो द्वारा मण्डी प्रागण से अपने गोदामो तक अपने माल के परिवहन के लिए नियोजित किय जाये।"

धारा 56 का संशोधन.

5. मूल अधिनियम मे, धारा 56 मे, उप–धारा (3), (4) एव (5) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्–

"(3) जहा कोई मण्डी समिति अतिष्ठित कर दी गई हो, तो सचालक, आदेश द्वारा, मण्डी समिति के कृत्यो को कार्यान्वित करने के लिए तथा उसकी शक्तियो का प्रयोग करने के लिए–

(क) किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगा, जो भारसाधक अधिकारी के नाम से जाना जायेगा, या

(ख) सात से अनधिक व्यक्तियो से मिलकर बनने वाली एक समिति नियुक्त कर सकेगा, जो भारसाधक समिति के नाम से जानी जायेगी,

और अतिष्ठित की गई मण्डी समिति की ऐसी आस्तियॉ तथा दायित्व, जो कि ऐसे अतरण की तारीख को हो, ऐसे भारसाधक अधिकारी या ऐसी भारसाधक समिति को अतरित कर सकेगा

परन्तु यह कि सचालक, किसी भी समय भारसाधक समिति के स्थान पर भारसाधक अधिकारी और भारसाधक अधिकारी के स्थान पर भारसाधक समिति नियुक्त कर सकेगा

परन्तु यह और कि भारसाधक अधिकारी की मृत्यु हो जाने, उसके पद त्याग कर देने, उसके छुट्टी पर होने या उसके निलबित होने की दशा मे यह समझा जाएगा कि ऐसे पद की आकस्मिक रिक्ति हुई है और ऐसी रिक्ति, सचालक द्वारा, यथाशक्य शीघ्र, उस पद पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति करके भरी जाएगी और जब तक ऐसी नियुक्ति नही कर दी जाती है, तब तक कलेक्टर द्वारा नामनिर्दिश्ट व्यक्ति, भारसाधक अधिकारी के रूप मे कार्य करेगा।

(4) किसी भी भारसाधक अधिकारी को या उप–धारा (3) के खण्ड (ख) के अधीन भारसाधक समिति मे नियुक्त किए गए किसी व्यक्ति या समस्त व्यक्तियो को, किसी भी समय सचालक द्वारा हटाया जा सकेगा, जिसे उसके स्थान पर, यथास्थिति, किसी अन्य व्यक्ति या किन्ही अन्य व्यक्तियो को नियुक्त करने की शक्ति होगी।

(5) उप–धारा (3) के अधीन भारसाधक अधिकारी के रुप मे नियुक्त किया गया कोई भी व्यक्ति, अपनी सेवाओ के लिए ऐसा मानदेय, जो कि शासन द्वारा नियत किया जाये, मण्डी समिति निधि से प्राप्त करेगा तथा भारसाधक समिति का प्रत्येक सदस्य, मण्डी समिति निधि से ऐसी दर से भत्ते प्राप्त करने का हकदार होगा, जिस दर से मण्डी समिति के सदस्यो को भत्ते देय हो।"

धारा 57 का संशोधन. 6. मूल अधिनियम मे, धारा 57 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् –

"57. धारा 13 के अधीन विघटन के परिणाम.–(1) जहा कोई मण्डी समिति धारा 13 की उप–धारा (2) के अधीन विघटित हो जाती है, वहा निम्नलिखित परिणाम होग, अर्थात् –

(क) मण्डी समिति के समस्त सदस्यो और उसके अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के सबध मे यह समझा जाएगा कि उन्होने उक्त उप–धारा के अधीन ऐसी मण्डी समिति के विघटित होने की तारीख से अपने पद रिक्त कर दिये है,

(ख) इस अधिनियम के अधीन मण्डी समिति की समस्त शक्तियो का प्रयोग तथा समस्त कर्तव्यो का निर्वहन, सचालक के नियत्रण के अध्यधीन रहते हुए–

(एक) किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाएगा, जो भारसाधक अधिकारी के नाम से जाना जायेगा और जिसे सचालक, आदेश द्वारा, इस निमित्त नियुक्त करे,

या

(दो) सात से अनधिक व्यक्तियो से मिलकर बनने वाली एक समिति द्वारा किया जाएगा, जो भारसाधक समिति के नाम से जानी जायेगी और जिसे सचालक, आदेश द्वारा, इस निमित्त नियुक्त करे

परन्तु यह कि सचालक, किसी भी समय, भारसाधक समिति के स्थान पर भारसाधक अधिकारी और भारसाधक अधिकारी के स्थान पर भारसाधक समिति नियुक्त कर सकेगा

परन्तु यह और कि भारसाधक अधिकारी की मृत्यु हो जाने, उसके पद त्याग कर देने, छुट्टी पर होने या उसके निलबित होने की दशा मे यह समझा जाएगा कि ऐसे पद की आकस्मिक रिक्ति हुई है और ऐसी रिक्ति, सचालक द्वारा, यथाशक्य शीघ्र, उस पद पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति करके भरी जाएगी और जब तक ऐसी नियुक्त नही कर दी

जाती है, तब तक कलेक्टर द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्ति, भारसाधक अधिकारी के रूप मे कार्य करेगा,

(ग) मण्डी समिति मे निहित समस्त सपत्ति, इस अधिनियम के प्रयोजनो के लिए भारसाधक अधिकारी या भारसाधक समिति मे न्यासत निहित हो जाएगी।

(2) किसी भी भारसाधक अधिकारी को या उप–धारा (1) के खण्ड (ख) के उप–खण्ड (दो) के अधीन भारसाधक समिति मे नियुक्त किए गए किसी व्यक्ति या समस्त व्यक्तियो को किसी भी समय सचालक द्वारा हटाया जा सकेगा, जिसे उसके स्थान पर, यथास्थिति, किसी अन्य व्यक्ति या किन्ही अन्य व्यक्तियो को नियुक्त करने की शक्ति होगी।

(3) उप–धारा (1) के अधीन भारसाधक अधिकारी के रुप मे नियुक्त किया गया कोई भी व्यक्ति, अपनी सेवाओ के लिए ऐसा मानदेय, जो कि शासन द्वारा नियत किया जाये, मण्डी समिति निधि से प्राप्त करेगा तथा भारसाधक समिति का प्रत्येक सदस्य, मण्डी समिति निधि से ऐसे दर से भत्ते प्राप्त करने का हकदार होगा, जिस दर से मण्डी समिति के सदस्यो को भत्ते देय हो।

(4) यथा पुनर्गठित मण्डी समिति के प्रथम साधारण सम्मिलन के लिए नियत की गई तारीख से भारसाधक अधिकारी या भारसाधक समिति अपने पद पर नही रहेगा/रहेगी।"

उद्देश्य और कारणों का कथन

यत, राज्य सरकार का दृष्टिकोण है कि उत्पादन क्षमता तथा मार्केटिग सरप्लस मे सामान्य वृद्धि होने और स्थानीय स्तर पर विक्रेताओ को सुविधा देने से, छोटे व्यापारी की स्टाक क्षमता तथा प्रतिदिन की क्रय क्षमता मे वृद्धि हो सकेगी, मण्डी अधिनियम के अधीन सशक्त किय गये अधिकारियो को, अवैध व्यापार पर प्रभावी नियत्रण तथा प्रभावी कार्यवाही के लिये, अधिसूचित कृषि उपज के साथ साथ वाहन को भी अभिग्रहण करने की शक्ति होगी तथा प्रदेश की मण्डियो मे तुलैया एव हम्मालो की प्रचलित पारिश्रमिक दरो मे समरूपता लाने के लिये न्यूनतम पारिश्रमिक दर को अधिसूचित करना अपेक्षित है एव मण्डी समितियो मे मण्डी अधिनियम के उद्देश्य के अनुसार कृषको के हितो के सरक्षण और उनको उचित प्रतिनिधित्व दिये जाने हेतु, भारसाधक अधिकारी या भारसाधक समिति का गठन करना आवश्यक है ।

अतएव, छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) मे सशोधन करने का विनिश्चय किया गया है ।

अत यह विधेयक प्रस्तुत है।

रायपुर
दिनाक– 25–03–2020

रविन्द्र चौबे
कृषि मत्री
(भारसाधक सदस्य)

उपाबंध

छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (कमांक 24 सन् 1973) की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (डड), धारा 10, धारा 17 की उप–धारा (2) के खण्ड (उन्नीस), धारा 56 की उपधारा (3), (4), (5) तथा धारा 57 के संबंध में सुसंगत उद्धरण

धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (डड) – "छोटा व्यापारी" से अभिप्रेत है कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी एक समय पर स्टाक में विभिन्न प्रकार की अधिसूचित कृषि उपज दस क्विंटल से या कोई एक अधिसूचित कृषि उपज चार क्विंटल से अधिक न रखता हो :

परन्तु वह किसी भी एक दिन में चार क्विंटल धान्य से या दो क्विंटल तिलहनों, दालों तथा तन्तु फसलों से अधिक का कय नहीं करेगा य

धारा 10 –

10. प्रथम मंडी समिति का गठन होने तक के लिए भारसाधक अधिकारी की नियुक्ति–(1) जब इस अधिनियम के अधीन कोई मंडी प्रथम बार स्थापित की जाती है तो (प्रबंध संचालक) आदेश द्वारा (दो वर्ष से अनधिक कालावधि के लिए) किसी व्यक्ति को भारसाधक अधिकारी के रूप में नियुक्त करेगा। भारसाधक अधिकारी प्रबंध संचालक के नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए, इस अधिनियम के अधीन मंडी समिति की समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा समस्त कर्तव्यों का पालन करेगा :

परन्तु भारसाधक अधिकारी की मृत्यु हो जाने, उसके पद त्याग कर देने, छुट्टी पर होने या उसके निलंबित होने की दशा में यह समझा जायेगा कि ऐसे पद में आकस्मिक रिक्ति हो गई है और ऐसी रिक्ति प्रबंध संचालक द्वारा यथाशक्य शीघ्र, उस पद पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति करके भरी जायेगी और जब तक ऐसी नियुक्ति नहीं कर दी जाती है, तब तक कलेक्टर द्वारा नाम निर्दिष्ट व्यक्ति भारसाधक के रूप में कार्य करेगा :

परन्तु यह और भी कि यदि मंडी समिति का गठन पूर्वोक्त कालावधि का अवसान होने के पूर्व हो जाता है तो ऐसा भारसाधक अधिकारी, नवीन रूप से गठित मंडी समिति प्रथम साधारण सम्मिलन के लिये नियत की गई तारीख से अंपने पद पर नहीं रहेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किये गये किसी भी भारसाधक अधिकारी को किसी भी समय, प्रबंध संचालक द्वारा हटाया जा सकेगा, जिसे उसके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त करने की शक्ति होगी।

(3) उपधारा (1) के अधीन भारसाधक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया कोई भी व्यक्ति, अपनी सेवाओं के लिये ऐसा वेतन तथा भत्ते, जो कि प्रबंध संचालक द्वारा नियत किए जाएं, मंडी समिति निधि से प्राप्त करेगा।

(4) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया भारसाधक अधिकारी, उस उपधारा के अधीन अपनी अवधि का अवसान हो जाने पर भी, उस तारीख तक पद धारण किये रहेगा जो कि नवीन रूप से गठित मंडी समिति के प्रथम साधारण सम्मिलन के लिये (धारा 13 की उपधारा (1)) के अधीन नियत की गई है।

धारा 17 की उप–धारा (2) के खण्ड (उन्नीस) –

(उन्नीस) मण्डी–प्रागंण में किये गये संव्यवहारों के संबंध में माल के तौलने तथा उसके परिवहन के लिए तुलैयों तथा हम्मालों का बारी–बारी से नियोजन करने की व्यवस्था करेगी :

परन्तु इस खण्ड की कोई भी बात उन हम्मालों के नियोजित किये जाने के लिए लागू नहीं होगी जो कि व्यापारियों द्वारा मंडी प्रांगण से अपने गोदामों तक अपने माल के परिवहन के लिए नियोजित किये जायें।

धारा 56 की उपधारा (3), (4), (5)–

(3) जहॉ कोई मंडी समिति अतिष्ठित कर दी गयी है, तो प्रबंध संचालक मंडी समिति के कृत्यों को कार्यान्वित करने के लिए तथा उसकी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए आदेश द्वारा किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगा जो भारसाधक अधिकारी के नाम से जाना जाएगा और प्रबंध संचालक अतिष्ठित की गई मंडी समिति की ऐसी आस्तियॉ तथा दायित्व, जो कि ऐसे अन्तरण की तारीख को हों, भारसाधक अधिकारी को अन्तरित कर सकेगा :

परन्तु भारसाधक अधिकारी की मृत्यु हो जाने या उसके पद त्याग कर देने या उसके छुट्टी पर होने या उसके निलंबित होने की दशा में यह समझा जाएगा कि ऐसे पद में आकस्मिक रिक्ति हो गई है और ऐसी रिक्ति प्रबंध संचालक द्वारा यथाशक्य शीघ्र उस पद पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति करके भरी जाएगी और जब तक ऐसी नियुक्ति नहीं कर दी जाती है तब तक कलेक्टर द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्ति भारसाधक अधिकारी के रूप में कार्य करेगा।

(4) उपधारा (3) के अधीन नियुक्त किए गये किसी भी भारसाधक अधिकारी को किसी भी समय प्रबंध संचालक द्वारा हटाया जा सकेगा जिसे उसके स्थान किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त करने की शक्ति होगी।

(5) उपधारा (3) के अधीन भारसाधक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया कोई भी व्यक्ति, अपनी सेवाओं के लिए ऐसा वेतन तथा भत्ते, जो कि प्रबंध संचालक द्वारा नियत किये जाएँ, मंडी समिति निधि से प्राप्त करेगा।

धारा 57 –

57. धारा 13 के अधीन विघटन के परिणाम –

(1) जहां कोई मंडी समिति धारा (13 की उपधारा (2) के अधीन परन्तुक) विघटित हो जाती है, वहां निम्नलिखित परिणाम होंगे, अर्थात् –

(क) मंडी समिति के समस्त सदस्यों और उसके अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के संबंध में यह समझा जाएगा कि उन्होंने उक्त उपधारा के अधीन ऐसी मंडी समिति के विघटन हो जाने की तारीख से अपना पद रिक्त कर दिया हैं,

(ख) इस अधिनियम के अधीन मंडी समिति की समस्त शक्तियों का प्रयोग तथा उसके मंडी समिति के समस्त कर्तव्यों का पालन प्रबंध संचालक के नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाएगा, जिसे प्रबंध संचालक, आदेश द्वारा, इस संबंध में नियुक्त करें और भारसाधक अधिकारी के नाम से जाना जाएगा :

परन्तु भारसाधक अधिकारी की मृत्यु हो जाने, उसके पद त्याग कर देने, छुट्टी पर होने या उसके निलंबित होने की दशा में यह समझा जाएगा कि ऐसे पद की आकस्मिक रिक्ति हो गई है और ऐसी रिक्ति, प्रबंध संचालक द्वारा यथाशक्य शीघ्र उस पद पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति करके भरी जाएगी और जब तक ऐसी नियुक्त न कर दी जाती है तब तक कलेक्टर नाम निर्दिष्ट भारसाधक अधिकारी के रूप में कार्य करेगा,

(ग) मंडी समिति में निहित समस्त संपत्ति इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए भारसाधक अधिकारी में न्यासतः निहित होगी।

(2) उपधारा (1) के नियुक्त किये गये किसी भी भारसाधक अधिकारी को किसी व्यक्ति, प्रबंध संचालक द्वारा हटाया जा सकेगा, जिसे उसके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त करने की शक्ति होगी।

(3) उपधारा (1) के अधीन भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया कोई भी व्यक्ति, अपनी सेवाओं के लिए ऐसा वेतन तथा भत्ते, जो कि प्रबंध संचालक द्वारा नियत किए जाएँ, मण्डी समिति निधि से प्राप्त करेगा।

(4) यथा पुनर्गठित मंडी समिति के प्रथम साधारण सम्मिलन के लिए नियत की गई तारीख से भारसाधक अधिकारी अपने पद पर नहीं रहेगा।

चन्द्र शेखर गंगराड़े
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2020.